

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक : प. 09(04)राज/ वाद/ 88 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 29-04-16

**:: आदेश ::**

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उद्भूत राजस्थान राज्य की ओर से सभी प्रकरणों को प्रस्तुत करने एवं पैरवी हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता का एक नवीन पद (वर्तमान में स्वीकृत तीन अतिरिक्त महाधिवक्ता के पदों के अतिरिक्त) सृजित किया जाता है।

उक्त पद सृजन की स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या- 101601594 दिनांक 29.04.16 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से

ह./-

(मनोज कुमार व्यास)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव/ विशेषाधिकारी(एस), माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, माननीय विधि मंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, विधि/ समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव एवं विशिष्ट शासन सचिव।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग को उनकी आई.डी. संख्या-101601594 दिनांक 29.04.16 के क्रम में।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/ सचिव, राज0 विधान सभा, जयपुर/ सचिव, लोकायुक्त, जयपुर/ निदेशक, जनसम्पर्क, जयपुर।
6. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।
7. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर/ महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
8. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर/ समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
9. समस्त अति0 महाधिवक्ता/ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
10. सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. रजिस्ट्रार जनरल/ रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग/ प्रकोष्ठ/ विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
13. समस्त जिला कलक्टर/ पुलिस अधीक्षक/ विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
14. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
15. राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर एवं समस्त अतिरिक्त/ उप राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
16. समस्त गवर्नमेंट काउन्सिल/ एडि0 गवर्नमेंट काउन्सिल/ डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/ जोधपुर।
17. आहरण एवं वितरण अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, वादकरण, जयपुर।
18. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

ह./-

(अनूप कुमार सक्सेना)

शासन सचिव, विधि

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक : प. 9(4)राज/ वाद/ 88 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 29-04-16

**:: आदेश ::**

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उद्भूत राजस्थान राज्य के सभी प्रकरणों की पैरवी करने एवं प्रस्तुत करने के लिए श्री नलिन कोहली अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली के नव सृजित पर नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होंगी:-

1. अतिरिक्त महाधिवक्ता को रू0 22,400/- (अक्षरे बाईस हजार चार सौ रूपये) प्रतिमाह रिटेनरशिप देय होगी।
2. वे माननीय उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार वादकरण के मामलों हेतु उनके द्वारा उपगत सभी अनुशंगिक व्यय का नियमानुसार पनुर्भरण प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
3. उन्हें मासिक प्रतिधारण (रिटेनरशिप) के अलावा राजकीय वादकरण के प्रकरणों में पैरवी करने/ प्रस्तुतीकरण एवं बहस आदि की फीस तथा प्रारूपण फीस इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.06.15 के अनुसार देय होगी।
4. वे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समय-समय पर राज्य सरकार के विरुद्ध लगने वाले मामलों की तथा जारी होने वाले आदेशों की सूचना तत्काल राज्य सरकार को देंगे।
5. वे समय-समय पर उन्हें दी गई अग्रिम धनराशि का हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होंगे।
6. वे निम्नलिखित कार्यों/ बातों के लिए विवर्जित (Debar) होंगे:-  
(क) राजस्थान राज्य के विरुद्ध सलाह देने अथवा मुकदमा लेने से,  
(ख) राजस्थान राज्य के फौजदारी मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों की प्रतिरक्षा करने में, एवं  
(ग) निजी पक्षकारों को / पार्टियों को उन मामलों में, जिनमें उनके राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित होने की सम्भावना हो, सलाह देने से।
7. वे ऐसे आदेशों से भी बाध्य होंगे, जो समय-समय पर उनकी नियुक्ति के संबंध में जारी किये जावेंगे।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता को टेलीफोन सुविधा अन्य अतिरिक्त महाधिवक्ता को प्रदत्तानुसार देय होगी।

आज्ञा से

ह./-

(मनोज कुमार व्यास)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव/ विशेषाधिकारी(एस), माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, माननीय विधि मंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, विधि/ समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव एवं विशिष्ठ शासन सचिव।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/ सचिव, राज0 विधान सभा, जयपुर/ सचिव, लोकायुक्त, जयपुर/ निदेशक, जनसम्पर्क, जयपुर।
5. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।

6. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर/ महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
7. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर/ समस्त अति० महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
8. समस्त अति० महाधिवक्ता/ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
9. सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. रजिस्ट्रार जनरल/ रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
11. श्री नलिन कोहली, अधिवक्ता, 2017, सी.के. दफ्तरी चैम्बर्स ब्लॉक, तिलक लेन, नई दिल्ली।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग/ प्रकोष्ठ/ विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
13. समस्त जिला कलक्टर/ पुलिस अधीक्षक/ विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
14. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
15. राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर एवं समस्त अतिरिक्त/ उप राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
16. समस्त गवर्नमेंट काउन्सिल/ एडि० गवर्नमेंट काउन्सिल/ डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/ जोधपुर।
17. आहरण एवं वितरण अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, वादकरण, जयपुर।
18. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

ह./-  
(अनूप कुमार सक्सेना)  
शासन सचिव, विधि

सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 09(04)राज/वाद/88 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 29-04-16

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उदभूत राजस्थान राज्य की ओर से सभी प्रकरणों को प्रस्तुत करने एवं पैरवी हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता का एक नवीन पद (वर्तमान में स्वीकृत तीन अतिरिक्त महाधिवक्ता के पदों के अतिरिक्त) सृजित किया जाता है।

उक्त पद सृजन की स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या-101601594 दिनांक 29.04.16 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से,

ED  
(मनोज कुमार व्यास)  
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी(एस), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, माननीय विधि मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि/समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव एवं विशिष्ट शासन सचिव।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग को उनकी आई.डी.संख्या-101601594 दिनांक 29.04.16 के क्रम में।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/सचिव राज0 विधान सभा, जयपुर/सचिव, लोकायुक्त, जयपुर/निदेशक, जनसम्पर्क, जयपुर।
6. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।
7. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर/महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
8. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर/समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
10. सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम, नई दिल्ली।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ/विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
13. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
14. अधीक्षक केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
15. राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
16. समस्त गवर्नमेन्ट काउन्सिल/एडि0 गवर्नमेन्ट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
17. आहरण एवं वितरण अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, वादकरण, जयपुर।
18. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. रक्षित पत्रावली।

Office



29.4.16

(अनूप कुमार सक्सेना)  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)


क्रमांक प0 9(4) राज/वाद/88 पार्ट

जयपुर दिनांक 29-4-16

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उद्भूत राजस्थान राज्य के सभी प्रकरणों की पैरवी करने एवं प्रस्तुत करने के लिए श्री नलिन कोहली अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली के नव सृजित पर नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगी:-

1. अतिरिक्त महाधिवक्ता को रू0 22,400/- (अक्षरे बाईस हजार चार सौ रूपये) प्रतिमाह रिटेनरशिप देय होगी।
2. वे माननीय उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार वादकरण के मामलों हेतु उनके द्वारा उपगत सभी अनुशंगिक व्यय का नियमानुसार पुनर्भरण प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
3. उन्हें मासिक प्रतिधारण (रिटेनरशिप)के अलावा राजकीय वादकरण के प्रकरणों में पैरवी करने/प्रस्तुतीकरण एवं बहस आदि की फीस तथा प्रारूपण फीस इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.06.15 के अनुसार देय होगी।
4. वे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समय-समय पर राज्य सरकार के विरुद्ध लगने वाले मामलों की तथा जारी होने वाले आदेशों की सूचना तत्काल राज्य सरकार को देंगे।
5. वे समय-समय पर उन्हें दी गई अग्रिम धनराशि का हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होंगे।
6. वे निम्नलिखित कार्यों/बातों के लिये विवर्जित (Debar) होंगे:-
  - (क) राजस्थान राज्य के विरुद्ध सलाह देने अथवा मुकदमा लेने से,
  - (ख) राजस्थान राज्य के फौजदारी मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों की प्रतिरक्षा करने में, एवं
  - (ग) निजी पक्षकारों को /पार्टियों को उन मामलों में, जिनमें उनके राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थिति होने की सम्भावना हो, सलाह देने से।
7. वे ऐसे आदेशों से भी बाध्य होंगे, जो समय-समय पर उनकी नियुक्ति के संबंध में जारी किये जावेंगे।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता को टेलीफोन सुविधा अन्य अतिरिक्त महाधिवक्ता को प्रदत्तानुसार देय होगी।



आज्ञा से,

50

(मनोज कुमार व्यास)  
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी(एस), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, माननीय विधि मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि/समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव एवं विशिष्ट शासन सचिव।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/सचिव राज0 विधान सभा, जयपुर/सचिव, लोकायुक्त, जयपुर/निदेशक, जनसम्पर्क, जयपुर।
5. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।
6. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर/महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
7. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर/समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
09. सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम, नई दिल्ली।
11. श्री नलिन कोहली, अधिवक्ता, 2017, सी.के. दफ्तरी चैम्बर्स ब्लॉक, तिलक लेन, नई दिल्ली।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ/विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
14. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
15. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
16. राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
17. समस्त गवर्नमेन्ट काउन्सिल/एडि0 गवर्नमेन्ट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
18. आहरण एवं वितरण अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, वादकरण, जयपुर।
19. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. रक्षित पत्रावली।

29.4.16  
(अनूप कुमार सक्सेना)  
शासन सचिव, विधि